रजिस्टर्ड नं० HP/13/SML/2001

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शुक्रवार, 5 अक्तूबर, 2001/13 आश्विन 1923

हिमाचल प्रदेश सरकार

उद्योग विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 1 अक्तूबर, 2001

संख्या 5-13/72-एस० आई० (ईस्ट)-II.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इस विभाग की समसंख्यांक अधिसूचना, तारीख 15-3-1997 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग में अधीक्षक ग्रेड-I (वर्ग-II, राजपत्रित) पद के लिए भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(I) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग अधीक्षक ग्रेड-I (वर्ग-I), (राजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति (द्वितीय संशोधन) नियम, 2001 है ।

(II) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

1926-राजपत्र/2001-5-10-2001—1,331. (2849) मूल्य : 1 रुपया ।

2. उपाबन्ध 'अ' का संशोधन.—हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग अधीक्षक ग्रेड-I (वर्ग-I, राजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 1997 के उपाबन्ध 'अ' में: —

(क) स्तम्भ संख्या 3 में विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"वर्ग-I (राजपत्रित)"

(ख) स्तम्भ संख्या 11 में विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किए जायेंगे, अर्थात्:—

अधीक्षक ग्रेड-II में से जिनका तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में (31-3-98) तक की लगातार तदर्थ सेवा को सम्मिलित करके संयुक्त नियमित सेवाकाल हो प्रोन्नति द्वारा ऐसा न होने पर अधीक्षक ग्रेड-II में से जिनका 9 वर्ष का नियमित सेवाकाल या अधीक्षक ग्रेड-II और वरिष्ठ सहायक के रूप में संयुक्त रूप में 9 वर्ष का सेवाकाल या (31-3-1998) तक की गई लगातार तदर्थ सेवा सहित संयुक्त नियमित सेवाकाल हो, प्रोन्नति द्वारा ।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरण पद में 31-3-1998 तक की गई निरन्तर तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिये इन नियमों में यथा विहित सेवाकाल के लिए इन शर्तों के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी कि सम्भरण प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी। परन्तु यह कि उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरण पद में अपने कुल सेवाकाल (31-3-1998 तक तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरन में हो, को शामिल करके) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जायेंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जायेंगे :

परन्तु उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिये विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा जो भी कम हो, होगी :

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिये अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिये अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे ।

स्पष्टीकरण.—अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिये अपात्र नहीं समझा जायेगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है, जिसे डिमोबिलाईजड आर्मड फोर्सिस परसोनल (रिजर्वेशन आफ वेकैन्सीज इन हिमाचल स्टेट नान टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1972 के नियम 3 के प्रावधानों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो तथा इनके अन्तर्गत वरियता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वैकैन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1985 के नियम 3 के प्रावधानों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो व इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गये हों ।

(2) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियुक्ति/प्रोन्नति से पूर्व 31-3-1998 तक की गई तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात् और भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :

परन्तु 31-3-98 तक की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात जो स्थाईकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी ।

3. अधिसूचना का संशोधन.—इस विभाग की अधिसूचना संख्या 5-13/72-एस0 आई0 (इ0 एस0टी0टी0)-II, तारीख 15-3-1997 में शब्द और कोष्टक (वर्ग-II राजपत्रित) जहां-जहां भी आए हैं के स्थान पर "वर्ग-I राजपत्रित) शब्द और कोष्टक प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-

आयुक्त एवं सचिव ।

[*Authoritative English text of this department notification No.* 5-13/72-*SI (Estt.)-II, Dated* 1-10-2001 *as required under clause* (3) *of Article* 348 *of the Constitution of India*].

INDUSTRIES DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171 002, *the* 1*st October*, 2001

No. 5-13/72-SI (Estt.)-II.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following rules to amend the Himachal Pradesh Department of Industries, Superintendent Grade-I (Class-II, Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 1997, notified *vide* this Department Notification of even number, dated 5-3-1997, namely:—

1. *Short title and commencement.*—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Department of Industries Superintendent Grade-I (Class-II Gazetted) Recruitment and Promotion (Second Amendment) Rules, 2001.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. *Amendment of Annexure 'A'.*—In Annexure 'A' of the Himachal Pradesh Department of Industries, Superintendent Grade-I (Class-II Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 1997.—

(*a*) For the existing provision against Column No. 3, the following shall be substituted, namely:—

"Class-I (Gazetted)."

(*b*) for the existing provision against Column No. 11, the following shall be substituted, namely:—

"By promotion from amongst the Superintendent Grade-II who possess three years regular service or regular combined with continuous *ad hoc* (rendered upto 31-3-1998) service in the grade, failing which by promotion from amongst the Supdt. Grode-II who has put in 9 years regular service or regular combined with continuous *ad hoc* (rendered upto 31-3-98) service as Supdt. Grade-II and Sr. Assistants combined".

(1) In all cases of promotion, the continuous *ad hoc* service rendered in the feeder post upto 31-3-1998, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account

towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the *ad hoc* appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of Recruitment and Promotion Rules, provided that :

(*i*) in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on *ad hoc* basis upto 31-3-98 followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration :

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall also possess the minimum qualifying service of atleast three years or that prescribed in the Recruitment and Promotion Rules for the post, whichever is less :

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirement of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be *Ex*-servicemen recruited under the provisions of Rule 3 of Demobilised Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of Rule 3 of *Ex*-servicemen (Reservation of Vacancies in Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.

(2) Similarly in all cases of confirmation, continuous *ad hoc* service rendered on the feeder post upto 31-3-98, if any, prior to the regular appointment against such post shall be taken into account towards the length of service, if the *ad hoc* appointment/promotion had been made after proper selection in accordance with the provision of the R & P Rules :

Provided that *inter-se* seniority as a result of confirmation after taking into account, *ad hoc* service rendered upto 31-3-98 as referred to above shall remain unchanged.

3. *Amendment of Notification.*—In this Department Notification No. 5-13/72-SI (Estt)-II, dated 15-3-1997, the words and bracket "(Class-II, Gazetted) wherever occur shall be substituted by the words and bracket" (Class-I, Gazetted).

By order,

Sd/-

Commissioner-cum-*Secretary*.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित